

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या: UPFS/2021/38536/MRT/MEERUT/492/CFO

दिनांक: 08-10-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MOUNTLITERA ZEESCHOOL CH GULVEER SINGH CHARITABLE TRUST** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **NH 58 Roorkee Road Modipuram Meerut, NH 58 Roorkee Road Modipuram Meerut, Meerut** तहसील - **Meerut**, प्लॉट एरिया **24804.00 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **6339.21** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Educational A	3	0	11.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **MOUNTLITERA ZEESCHOOL CH GULVEER SINGH CHARITABLE TRUST** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **12-10-2021** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MOUNTLITERA ZEESCHOOL principal@mountliterameerut.com 9528348090** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **15-10-2021** से **14-10-2024** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **MOUNTLITERA ZEESCHOOL CH GULVEER SINGH CHARITABLE TRUST** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **MOUNTLITERA ZEESCHOOL CH GULVEER SINGH CHARITABLE TRUST** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note :-

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(SANTOSH KUMAR RAI)

[85A104D63E7672F6A4B15F7FD64296604910C9BB]

15-10-2021

For Rhombus World School

Rohit

Chairman

Shaleem
21/03/2024
PRINCIPAL
RHOMBUS WORLD SCHOOL
NH-58, Roorkee Road, Modipuram
Meerut - 250110

निर्गत किये जाने का दिनांक : 15-10-2021
स्थान : MEERUT

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद मेरठ।
पत्राक - UPFS/2021/38536/MRT/MEERUT/492/CFO / 16 दिनांक जनवरी 11, 2023
सेवा,

चेयरमैन,

Ch.Gulveer singh charitable Trust,
शिव नगर मोदीपुरम जनपद मेरठ।

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 11.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो कि Ch.Gulveer singh charitable Trust द्वारा संचालित Mountlitera Zee school मोदीपुरम एन0एच0-58 रुडकी रोड हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र यूआईडी संख्या- UPFS/2021/38536/MRT/ MEERUT/492/CFO दिनांक-15.10.2021 को पूर्व में निर्गत किया गया है उस भवन में किसी प्रकार का ढाचागत व अग्निसुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किये बिना Mountlitera Zee school के स्थान पर Rhombus World school का संचालन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है Ch.Gulveer singh charitable Trust द्वारा संचालित Mountlitera Zee school मोदीपुरम, एन0एच0-58 रुडकी रोड हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा पूर्व में अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र यूआईडी संख्या- UPFS/2021/38536/MRT/ MEERUT/492/CFC दिनांक-15.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है उक्त प्रमाण-पत्र में स्कूल का नाम Mountlitera Zee school के स्थान पर Rhombus World school समझा जाये।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

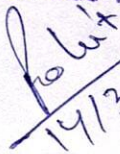

11.1.23

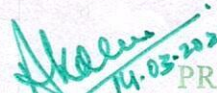
(संतोष कुमार राय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,

जनपद मेरठ।

For Rhombus World School


14/3/24
Chairman


14.03.2024
PRINCIPAL
RHOMBUS WORLD SCHOOL
NH-58, Roorkee Road, Modipuram
Meerut - 250110

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या: UPFS/2021/38536/MRT/MEERUT/492/CFO

दिनांक: 08-10-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MOUNTLITERA ZEESCHOOL CH GULVEER SINGH CHARITABLE TRUST** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **NH 58 Roorkee Road Modipuram Meerut, NH 58 Roorkee Road Modipuram Meerut, Meerut** तहसील - **Meerut**, प्लॉट एरिया **24804.00 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **6339.21** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Educational A	3	0	11.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **MOUNTLITERA ZEESCHOOL CH GULVEER SINGH CHARITABLE TRUST** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **12-10-2021** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MOUNTLITERA ZEESCHOOL principal@mountliterameerut.com 9528348090** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **15-10-2021** से **14-10-2024** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **MOUNTLITERA ZEESCHOOL CH GULVEER SINGH CHARITABLE TRUST** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **MOUNTLITERA ZEESCHOOL CH GULVEER SINGH CHARITABLE TRUST** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note :-

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(SANTOSH KUMAR RAI)

[85A104D63E7672F6A4B15F7FD64296604910C9BB]

15-10-2021

For Rhombus World School

Rohit

Chairman

Shaleen
21/03/2024
PRINCIPAL
RHOMBUS WORLD SCHOOL
NH-58, Roorkee Road, Modipuram
Meerut - 250110

निर्गत किये जाने का दिनांक : 15-10-2021
स्थान : MEERUT

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद मेरठ।
पत्राक - UPFS/2021/38536/MRT/MEERUT/492/CFO / 16 दिनांक जनवरी 11, 2023
सेवा,

चेयरमैन,

Ch.Gulveer singh charitable Trust,
शिव नगर मोदीपुरम जनपद मेरठ।

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 11.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जो कि Ch.Gulveer singh charitable Trust द्वारा संचालित Mountlitera Zee school मोदीपुरम एन0एच0-58 रुडकी रोड हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र, यूआईडी संख्या- UPFS/2021/38536/MRT/ MEERUT/492/CFO दिनांक-15.10.2021 को पूर्व में निर्गत किया गया है उस भवन में किसी प्रकार का ढाचागत व अग्निसुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किये बिना Mountlitera Zee school के स्थान पर Rhombus World school का संचालन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है Ch.Gulveer singh charitable Trust द्वारा संचालित Mountlitera Zee school मोदीपुरम, एन0एच0-58 रुडकी रोड हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा पूर्व में अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र यूआईडी संख्या- UPFS/2021/38536/MRT/ MEERUT/492/CFC दिनांक-15.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है उक्त प्रमाण-पत्र में स्कूल का नाम Mountlitera Zee school के स्थान पर Rhombus World school समझा जाये।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

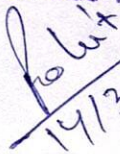

11.1.23

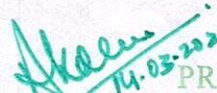
(संतोष कुमार राय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,

जनपद मेरठ।

For Rhombus World School


14/3/24
Chairman


14.03.2024
PRINCIPAL
RHOMBUS WORLD SCHOOL
NH-58, Roorkee Road, Modipuram
Meerut - 250110

प्रेषक:

संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
अग्निशमन तथा आपात सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक: 12 नवम्बर, 2025

विषय:- प्रदेश में फायर एन0ओ0सी0(NOC) की वैधता को 03 वर्ष से बढ़ाकर 05 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-एफ0एस0-1851-2025(53), दिनांक 30.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश में फायर एन0ओ0सी0(NOC) की वैधता को 03 वर्ष से बढ़ाकर 05 वर्ष के लिए किये जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अत्यधिक संवेदनशीलता के दृष्टिगत हॉस्पिटल (इन्स्टीट्यूशनल ऑक्सीपेन्सी) एवं हाई हैजार्ड इण्डस्ट्रियल ऑक्सीपेन्सी/भवनों को छोड़कर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए शेष समस्त भवनों/ऑक्सीपेन्सी के अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्रों की वैधता 03 वर्ष से बढ़ाकर 05 वर्ष किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली, 2024 में वर्णित शेष नियम व शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- उक्त आदेश उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली, 2024 के नियम-44 में वर्णित निर्देशों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

Digitally signed by
SANJAY PRASAD

Date: 12-11-2025

13:27:02

(संजय प्रसाद)

प्रमुख सचिव।